न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 54/2021

देसराज पुत्र श्री रामचन्द जाति अरोड़ा उम्र 64 वर्ष निवासी मकान नम्बर एफ–9 अम्बिका सिटी, श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. गुरनाम सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह
2. जट्टो बाई पत्नि श्री बलवन्त सिंह
3. मनजीत सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
4. सतनाम कौर पत्नि गुरबक्श सिंह
5. सतनाम सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह
6. गुरबक्श सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह

जाति अरोड़ा सिख निवासी वीपीओ चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर

7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर ।

उपखण्ड अधिकारी (राज.) श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति ::–

1. श्री तेजा सिंह अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. श्री संजय जनवेजा – – अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5, 6
3. पैरोकार राज – – अप्रार्थी 7

अप्रार्थी संख्या3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

– :: निर्णय ::–

दिनांक :–29.10.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि वाके चक 26 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 9 में स्थित है। इसके साथ मुरब्बा नम्बर 8 लगता है। प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 9 की पत्थरलाईन वट थी उसको मुरब्बा नम्बर 8 के काश्तकार ने धीरे धीरे काश्त करते हुए बट को मुरब्बा नम्बर 9 के अन्दर धकेल दिया था इसलिए प्रार्थी ने पूर्व में निर्धारित फीस जमा करवाकर सीमा ज्ञान करवाकर सही जगह बट डलवाई जाने का आवेदन–पत्र दिनांक 3–5–2018 को दिया। प्रार्थी के आवेदन–पत्र पर अदालतवाला ने दिनांक 23–5–2018 को तहसीलदार, श्रीगंगानगर को निर्देश दिये थे । तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा अदालतवाला के आदेश की पालना में सीमाज्ञान तो करवा दिया लेकिन निशान देकर पत्थरलाईन पर बट नहीं निकाली है। बट निकालने के लिए धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। न्यायहित में प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र पर आदेश दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा इससे पूर्व दिनांक 28–5–2019 को प्रार्थना–पत्र दिया गया था लेकिन वह अकेले गुरबक्श सिंह के खिलाफ दिया गया था

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

...के वहां मौके पर वही काश्त कर रहा है। बाकी उसके परिवार के गौण सदस्य थे। ...अदालतवाला ने दिनांक 02–12–2020 को उक्त प्रार्थना–पत्र तकनीकी आधार पर ...किया है कि सभी खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है। खाता संयुक्त है। ...वाला के निर्देश पर प्रार्थी नया प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है। जो तकनीकी पूर्व ...पत्र में रह गयी थी उसे पूरा कर दिया है। इसलिए न्यायहित में उक्त प्रार्थना–पत्र ...कर मैरिट पर निर्णय किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ...र्थना–पत्र पूर्व में मैरिट पर खारिज नहीं किया है केवल तकनीकी आधार पर खारिज ...है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। इसमें सभी नये ...है और उनके खिलाफ ही वादकारण हासिल है। प्रार्थना–पत्र अदालतवाला के ...र व श्रवणाधिकार का है जिसमें पत्थरगढी पेश करने के लिए कोई सीमा नहीं है। ...उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 ...अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर ...जी जी के मुरब्बा नम्बर 8 व 9 के मध्य पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश ...दार श्रीगंगानगर को प्रदान करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब ...गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 ता 6 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित ...नुसार उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने ... एवं रिकार्ड की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई थी, जो कि माननीय न्यायालय में ...तुत हो चुकी हैं। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में पत्थरगढी किए जाने की कोई अनुशंषा ...ही की है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी इसी स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य है । प्रार्थना ...की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी का रकबा मुरब्बा नम्बर 9 में तथा अप्रार्थीगण का ...बा मुरब्बा नम्बर 8 में होना स्वीकार है, शेष तथ्य मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। ...स्तविकता यह है कि अप्रार्थीगण व प्रार्थी का कृषि भूमि की सीमा के सम्बन्ध में कोई विवाद ...ही है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण के साथ रंजिश रखता है तथा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने ...के लिए बार–बार गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके न्यायिक प्रक्रिया का ...दुरुपयोग कर रहा है। मुरब्बा नम्बर 8 के काश्तकारान ने कभी भी बट को मुरब्बा नम्बर 9 ...के अन्दर नहीं धकेला है । मुरब्बा नम्बर 9 का रकबा 825 825 फीट पूरा है । यदि मुरब्बा ...नम्बर 9 की पैमाईश की जावे तो सही स्थिति सामने आ सकती है। प्रार्थना पत्र की चरण ...संख्या 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। अप्रार्थीगण को कभी भी किसी अधिकारी द्वारा ...मौका पर पैमाईश के लिए नहीं बुलाया। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 अस्वीकार है, ...माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2020 को दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर ...प्रकरण को अन्तिम रूप से निर्णित किया जा चुका हैं, इसलिए अब प्रार्थी को पुनः उन्ही ...तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए प्रार्थी का ...प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है। अतः ...जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय निरस्त ...फरमाया जावे।

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज ...तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 659 दिनांक 06.02.2023 के रिपोर्ट ...प्रस्तुत की गई

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय ...साक्ष्यों, एवम् जमाबंदी का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार ...श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया ...गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि तहसीलदार श्रीगंगानगर चक 26 जी जी के मुरब्बा नम्बर 8 व 9 के मध्य पत्थरगढी किये जाने हेतु अपने स्तर पर टीम गठित कर पुनः पैमाइश करते हुए दोनों मुरबों को मापते हुए पूरे होने की दशा में पत्थरगढी करे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति हो तो वह पूर्वानुसार रहेगी उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत [illegible])
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर